कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

–:: नीलामी इश्तेहार ::–

क्रमांक– 03 /तीन/9–2/18 छिंदवाड़ा दि0–05/01/2022

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, निम्नलिखित धातुएं/वस्तुओं का नीलाम जिला न्यायालय के प्रांगण में दिनांक 29/01/2022 को दिन के ठीक 12:00 बजे से प्रारंभ होगा।

अतः खरीदने के इच्छुक व्यक्ति निर्धारित समय में उपस्थित होकर बोली बोल सकते हैं, बोली बोलने में किसी प्रकार का रूकाव नहीं हैं ।

–: नीलामी की शर्ते :–

1– नीलाम किये जाने वाले लोहे का मूल्य बाजार में वर्तमान मूल्य के हिसाब से 50 प्रतिशत से मूल्य निर्धारण होगा।

2– नीलामी में भाग लेने वाले क्रेतागण को अमानत राशि 5000/– रूपये का डीडी मान्नीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के नाम से पेश करना अनिवार्य होगा अन्यथा नीलामी के प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा, सर्वोच्च बोली लगाने वाले क्रेता को नीलामी की शेष राशि जमा कर संपत्ति को ले जाने का अधिकार होगा। अन्य क्रेतागण को अमानत राशि 5000/– रूपये का डीडी वापिस कर दी जावेगी।

3– नीलामी कार्यवाही प्रभारी अधिकारी मालखाना (दां0सं0) छिन्दवाड़ा द्वारा संचालित होगी एंव उनकी स्वीकृति ही मान्य होगी।

4– जिन क्रेता के नाम पर बोली समाप्त होगी उन्हें 25 प्रतिशत राशि तत्काल जमा करनी होगी एवं शेष राशि 15 दिवस के भीतर जमा कर माल को ले जा सकेगा, निर्धारित समयावधि में शेष संपूर्ण राशि जमा न करने की दशा में अमानत राशि एवं 25 प्रतिशत की राशि शासन के पक्ष में राजसात कर ली जावेगी एवं माल को पुनः नीलाम किया जावेगा।

5– नीलामी के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को नीलाम में बोली बोलने से नही रोकेगा।

6– सर्वोच्च बोली लगाने वाले क्रेता को नीलामी से संबंधित सभी आवश्यक शर्ते नियमानुसार पूर्ण करनी होगी।

7– न्यायालय का कोई भी अधिकारी/कर्मचारी नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।

8– सर्वोच्च बोलीदार को माल तौलने हेतु इलेक्ट्रानिक तौल कांटा आदि उपकरण साथ लेकर आना होगा।

(नीलाम की जाने वाली सम्पत्ति की सूची)

क0	संपत्ति का विवरण	अनुमानित वजन
1	लोहा	250 कि0ग्रा0

<u>प्रतिलिपि</u> :–

(1) जिला न्यायालय के पोर्टल में।

(2) जनसंपर्क, अधिकारी छिन्दवाड़ा को सूचनार्थ एवं जनसाधारण में प्रसारार्थ प्रेषित ।

(3) इश्तेहार की एक प्रति दीवानी कचेहरी के नोटिस बोर्ड पर तथा कार्यालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा एवं बार एसोशिएसन छिन्दवाड़ा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावें ।

(4) बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, स्थानीय बाजार, चौराहा पर चस्पा किया जाए ।

प्रभारी अधिकारी मालखाना
एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
छिन्दवाड़ा